14.6.2018

पत्रावली [illegible]
[illegible] है कि
[illegible] के वारिसों की
[illegible] कर निवेदन है कि
[illegible] के पिता स्व0 अल्लादीन द्वारा उक्त
अपील पेश की थी जिसमें प्रार्थीगण के पिता
अपीलान्ट अल्लादीन खां का देहान्त दिनांक
21-4-2010 को हो गया था जिसके विधिक वारिस
को कायम मुकाम बनाने हेतु आवेदन दिनांक 16-7-10
को प्रस्तुत किया था। [illegible]
प्रार्थना पत्र के [illegible]
प्रा0पत्र कायम मुकाम [illegible]
तथा इस प्रार्थना [illegible]
15-7-2015 [illegible] को
[illegible] न्यायालय में
[illegible] आवेदकगण को
[illegible] कोई सूचना दी। अधिवक्ता ने बताया
कि अभी अपील कायम मुकाम की कार्यवाही में चल
रही है आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस कारण आवेदकगण इस दिनांक 15-7-2015 को
माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुये जिस पर यह
अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो
गई। आवेदकगण काम के सिलसिले में विदेश रहते है
तथा उक्त अपील की पैरवी तोफिक अली ही करता
था जो बीमार हो गया। इस कारण तोफिकअली
अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा ना ही
अधिवक्ता ने उक्त अपील को अदम हाजरी एवं अदम
पैरवी में खारिज होने की सूचना दी। इस कारण
अपील खारिज होने की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं
हो सकी। दिनांक 13-3-18 को आवेदक लियाकत
अली ने वादग्रस्त कृषि भूमियों की जमाबन्दी की
नकल ली तब उसमें रेस्पोडेन्ट मोहम्मदीन खां का

प्रबन्ध अधिकारी एवं [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8/2018 आलमदीन - मोहम्मद दीन

दिनांक	आज्ञा पत्र	
अधिकारी एवं पदेन ... सीकर	नाम दर्ज मिला तब लियाकत अली ने इस बाबत पता किया तब दिनांक 20-3-18 को पता चला कि अपील दिनांक 15-7-2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुकी । तब इसकी प्रमाणित प्रति लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 23-3-2018 को प्राप्त हुई । जिस पर वकील नियुक्त कर यह प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया तथा साथ में अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे ।	

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानकारी के बाद भी मियाद के बाहर पेश किया है ।प्रार्थना पत्र में सारे तथ्य मनगढन्त पेश किये है ।जबकि प्रार्थीगण एवं उनके वकील जानबूझ कर माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुये जिसके कारण माननीय न्यायालय ने वैध रूप से अपीलान्ट की अपील को खारिज किया गया था आवेदकगण ना तो विदेश में रहते है और ना हि तोफिक बीमार हुआ । इतना ही नही आवेदकगण सदा से ही अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहे हैं । आवेदकगण एवं उनके अधिवक्ता जानबूझकर माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुये । इनके हाजिर नहीं होने पर अपील ० अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से रही है किन्तु इन्होने जानबुझकर यह प्रार्थना पत्र तीन साल के विलम्ब से पेश किया है ।आवेदक के अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुये तथा उनको सूचना नहीं दी तो इन्हे अधिवक्ता के विरूद्ध मुकदमा दर्ज रकवाना चाहिये था ।प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया जिससे यह माना जावेकि आवेदकगण को प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश करने पर विलम्ब को माफ किया जा सके ।अपीलान्ट की अपील इससे पहले भी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में खारिज हो चुकी थी । किन्तु माननीय न्यायालय ने महानुभूतिपूर्वक अपील को पुनः नम्बर पर लिया गया । इसके बाद दिनांक 15-7-2015 को यह अपील पुनः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने का यह प्रार्थना पत्र जानबुझकर 3 वर्ष बाद पेश किया है जिसका कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है ।अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । अपीलार्थ की अपील दिनांक 19-12-2003 को अदम हाजरी में खारिज की गई । जिसे दिनांक 12-4-2004 को पुनः नम्बर पर लिया गया ।इसके बाद यह अपील दिनांक 17-10-2005 से लगातार बहस में चलती रही इसके बाद दिनांक16-7-2010 को अपीलान्ट की मृत्यु हो जाने पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा के पेस किया ।इसके बाद यह अपील वास्ते जबाब प्रा0 पत्र कायम मुकाम में चलती रही जो दिनांक 15-7-15 को अपीलान्ट एवं उनके वकील हाजिर नहीं होने पर खारिज की गई । जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र आदेश-41 नियम-19 सीपीसी का लगभग 33 माह बाद पेश किया है । इस विलम्ब का प्रार्थना पत्र अवधि अधिनिमय में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया जिससे प्रार्थना पत्र में हुये विलम्ब को माफ किया जा सके ।प्रार्थीगण अपने कृतव्यो के प्रति सजग नहीं है । केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि उनके वकील ने उनको सूचना नहीं दी ।प्रार्थीगण ने अपने वकील विरूद्ध कोई कार्यवाही की रिपोर्ट भी नहीं दी है ।अपीलान्ट की अपील बार बार खारिज होना अपीलान्ट की लापरवाही तथा बिना किसी कारण रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करान ही प्रमाणित है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र